# कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः **8177** /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः दिनांकः जुलाई, **16** ,2026

::सार्वजनिक विज्ञप्तिः::

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद देहरादून की विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़ (आर०टी०ओ०) और विदेशी मदिरा दुकान डालनवाला (परेड ग्राउण्ड) का व्यवस्थापन मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 404/2026 (MB) व रिट याचिका संख्याः 395/2026 (MB) में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2026 को पारित आदेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 की शेष अवधि व वर्ष 2027–28 (01.04.2027 से 31.03.2028 तक) व्यवस्थापन की तिथि से Minimum Monthly Guaranteed Duty (न्यूनतम मासिक गारण्टेड अभिकर/मासिक अधिभार) पर दुकान के व्यवस्थापन हेतु ऑफर के आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

| विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़ (आर०टी०ओ०) | मासिक अधिभार/एम०एम०जी०डी० जिस पर दुकान आवंटित हुई (रू० में) | मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 16.07.2026 को प्राप्त एम०एम०जी०डी० के अधिकतम आफर की धनराशि (रू० में) | **EMD** की धनराशि |
|---|---|---|---|
| वर्ष 2026–27 | 7431678/– | 9231678/– | 3661932/– |
| वर्ष 2027–28 | 7673788/– | 9473788/– | |

| विदेशी मदिरा दुकान डालनवाला (परेड ग्राउण्ड) | मासिक अधिभार/एम०एम०जी०डी० जिस पर दुकान आवंटित हुई (रू० में) | मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 16.07.2026 को प्राप्त एम०एम०जी०डी० के अधिकतम आफर की धनराशि (रू० में) | **EMD** की धनराशि |
|---|---|---|---|
| वर्ष 2026–27 | 8257844/– | 10057844/– | 4043102/– |
| वर्ष 2027–28 | 8419917/– | 10219917/– | |

उपरोक्त दोनों मदिरा दुकानों के आफर के आवेदन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, डाण्डा लखौण्ड में दिनांक 17.07.2026 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 18.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः–176/XXIII-1/2025–04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली–वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवषीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार वांछित अभिलेख, लाईसेन्स फीस एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD) (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू० 65,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेगें। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिज्ञ हो। उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट **www.uttrakhandexcise.org.in** व **www.uk.nic.in** पर भी उपलब्ध है एवं उक्त दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून (मोबाईल न0–8755792655) से प्राप्त की जा सकती है।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः **8178–8182** /सात लाई०–48/आबकारी नीति–2025/देहरादूनः तद्दिनांक।

**प्रतिलिपिः**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 17.07.2026 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।